न्यायालय उपखण्ड अधिकारी गोविन्दगढ जिला अलवर (राज0)

पीठासीन अधिकारी सुभाष यादव (आर.ए.एस.)
प्रार्थना पत्र संख्या 3/23/2025

वउनवान

1. मुबीन अहमद पुत्र खूबी अहमद जाति मेव निवासी पहाड़पुर तहसील हथीन जिला पलवल हरियाणा हाल आबाद कास्तकार ग्राम जहानपुर तहसील गोविन्दगढ़ जिला अलवर।

–प्रार्थी

बनाम

1. रामजीलाल पुत्र भिक्कन जाति मेघवाल निवासी जहानपुर तहसील गोविन्दगढ़ जिला अलवर।
2. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार साहब, गोविन्दगढ़ जिला अलवर।

–अप्रार्थीगण

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 111, 128
राज0 भू.राजस्व अधि0 1956

उपस्थितः–

श्री मुरारीलाल यादव – अधिवक्ता प्रार्थी
श्री चन्द्रकांत शर्मा – अप्रार्थी सं. 1 की ओर से

आदेश **दिनांक 04.07.2025**

प्रकरण के संक्षिप्त तथ्य इस प्रकार है कि आराजी खसरा नम्बर हाल 1054/1048 रकबा 0.2600 है0 वाके ग्राम जहानपुर तहसील गोविन्दगढ़ जिला अलवर स्थित हैं जो आराजी प्रार्थी की तन्हा कब्जे व खातेदारी की आराजी है लेकिन उक्त आराजी के पडौसी अप्रार्थी संख्या 1 लगायत 3 द्वारा प्रार्थी की आराजी की डोल वगैरा तोड रखी है। जिससे उक्त आराजी को प्रार्थना पत्र में आराजी मुतनाजा के नाम से संबोधित किया जा रहा है।

यह है कि आराजी खसरा नम्बर 878 अप्रार्थी संख्या 1 रामजीलाल की कब्जे व खातेदारी की आराजी है। खसरा नम्बर हाल 1054/1048 रकबा 0.2600 बारानी व खसरा 1053/1048 रकबा 0.9432 है0 गैर मुमकिन संस्था वाके ग्राम जहानपुर के तर्फ उत्तर में गैर मुमकिन रास्ता खसरा नमबर 1047/880 है जिसमें आराजीयात का निकास है तथा दक्षिण में खसरा नमबर 880/995 चारागाह भूमि है जो सरकारी है।

उपखण्ड अधिकारी
गोविन्दगढ़ (अलवर) राज०

यह है कि प्रार्थी की आराजी खसरा नम्बर हाल 1054/1048 व खसरा 1053/1048 वाके ग्राम जहानपुर तर्फ पश्चिम में अप्रार्थी 1 की आराजी खसरा नं. 878 वाके ग्राम जहानपुर हैं। बीच में स्थित डौल को काटकर अप्रार्थी जोत देते है व अपनी जमीन की आड में जबरन हमारी जमीन पर कब्जा करना चाहते है। पूर्व बनी डोल को भी जोत दिया है। व प्रार्थी के साथ उसकी उक्त आराजी के कब्जे काश्त व उपयोग, उपभोग में मजामत करते है। डौल वगैरा को मौके पर काट रखा है। एवं झगड़ा करने को उतारू है।

अतः प्रार्थी द्वारा प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 111, 128 भू0 राजस्व अधिनियम 1956 पेश कर निवेदन किया है कि खसरा नं0 हाल 1054/1048 रकबा 0.2600 है0 बारानी व खसरा 1053/1048 रकबा 0.9432 है0 गैर मुमकिन संस्था वाके ग्राम जहानपुर तहसील गोविन्दगढ़ जिला अलवर की पैमाईश करवाकर पत्थगरगढ़ी के आदेश फरमाये जाने की कृपा करे।

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 111, 128 भू राजस्व अधिनियम 1956 के तहत रजिस्टर दर्ज कर अप्रार्थी को नोटिस जारी कर तलब किया गया। अप्रार्थी सं. 1 उपस्थित। अप्रार्थी संख्या 1 ने जवाब पेश किया कि उक्त आराजी पर 50 वर्ष पूर्व से ही अप्रार्थी काबिज रहकर काश्त करता चला आ रहा है। अप्रार्थी द्वारा कभी भी उक्त आराजी पर झगड़ा फसाद नही किया गया है। तथा ना डौल वगैरा काटी व जोती गयी है। अप्रार्थी अपने हिस्से अनुसार नपी –तुली भूमि का उपयोग कर रहा है। आराजी भूमि की कई बार मौके पर जाकर हल्का पटवारी व कानूनगों द्वारा पैमाईश करायी जा चुकी है जिस पर नपत के अनुसार अप्रार्थी अपनी जमीन पर कास्त करता चला आ रहा है। प्रार्थी नक्शे में गड़बड़ी होने के कारण अप्रार्थी को बेवजह तंग व परेशान करने की नियत से गलत व नाजायज फायदा उठा रहा है। प्रार्थी झगडालू व लडाकू किस्म का व्यक्ति है। जिसने पूर्व में अप्रार्थी के साथ मारपीट की है। जिस संबंध में में पुलिस थाने में एफ आई आर दर्ज करायी जा चुकी है। अतः जवाब प्रार्थना पत्र पेश कर अप्रार्थी द्वारा उक्त प्रार्थना पत्र को मय हर्जा–खर्चा खारिज फरमाये जाने का निवेदन किया है।

उपखण्ड अधिकारी
गोविन्दगढ़ (अलवर) राज०

बहस उभय पक्षकारान सुनी गई। बहस के दौरान अधिवक्ता प्रार्थी ने अपने प्रार्थना पत्र के तथ्यों को दोहराया तथा आराजी खसरा नं0 हाल 1054/1048 रकबा 0.2600 है0 बारानी व खसरा 1053/1048 रकबा 0.9432 है0 गैर मुमकिन संस्था वाके ग्राम जहानपुर तहसील गोविन्दगढ़ जिला अलवर की पैमाईश करवाकर पत्थगरगढ़ी के आदेश बाबत निवेदन किया है। अधिवक्ता अप्रार्थी ने बहस के दौरान अपने जवाब के तथ्यो को दोहराया तथा प्रार्थी का प्रार्थना पत्र मय हर्जा–खर्चा खारिज फरमाये जाने बाबत निवेदन किया है।

हमने पत्रावली का अवलोकन किया। बहस का मनन किया। खसरा नं. 1053/1048 रकबा 0.9432 है0 वाके ग्राम जहानपुर तहसील गोविन्दगढ़ भूमि वर्गीकरण गै0 मु0 संस्थान दर्ज रिकॉर्ड है, जो कृषि भूमि की परिभाषा में नही आता है। साथ ही प्रार्थी द्वारा खसरा नं. 1054/1048 रकबा 0.2600 है0 व खसरा नं. 1053/1048 रकबा 0.9432 है0 की पत्थरगढ़ी बाबत प्रार्थना पत्र पेश किया गया है परन्तु सीमाज्ञान बाबत कोई रिपोर्ट पत्रावली में संलग्न नही है। अतः प्रार्थना पत्र सिद्ध नही होने से खारिज किया जाना न्यायोचित प्रतीत होता है। अतः प्रार्थी का प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 111.128 भू0 राजस्व अधिनियम अस्वीकार कर खारिज किया जाता है। पत्रावली फैसल शूमार होकर नम्बर से कम हो तथा बाद तकमील दाखिल दफ्तर हो।

(सुभाष यादव)
उपखण्ड अधिकारी
गोविन्दगढ़ (अलवर)

अतः यह आदेश आज दिनांक 04.07.2025 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

उपखण्ड अधिकारी
गोविन्दगढ़ (अलवर)